

मुस्कान

विरुद्ध

ईशान खान (सतानिया) एवं अन्य

(आपराधिक अपील क्रमांक. 4752/2025)

06 नवंबर 2025

[संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय द्वारा निजी प्रत्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द करना सही था कि पहले की परिवादों में 22.07.2021 और 27.11.2022 की दो विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया था, जिन्हें बाद में प्र.सूरि में जोड़ा गया था और क्या यह 'मिनी विचारण' के संचालन के बराबर नहीं होगा जो कि द.प्र.सं की धारा 482 की योजना के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

शीर्षबिंदु ¹

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के बीच विवाह मुस्लिम परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था- विवाह के 5-6 महीने बाद, निजी प्रत्यर्थियों ने दहेज के लिए अपीलकर्ता को परेशान करना शुरू कर दिया - निजी प्रत्यर्थियों के द्वारा अपीलकर्ता को लगातार क्रूरता का सामना करने के कारण, वह अपने पैतृक घर लौट आई और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (पति), प्रत्यर्थी क्रमांक 2 (सास), प्रत्यर्थी क्रमांक 3 (ससुर), प्रत्यर्थी क्रमांक 4 (ननद) और प्रत्यर्थी क्रमांक 5 (देवर) के खिलाफ भ.द.सं की धारा 498ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत प्र.सूरि दर्ज कराई- यह कहा गया कि 22.07.2021 को, प्रत्यर्थियों ने उसे गालियां दीं और प्रत्यर्थी क्रमांक 5 ने उसे थप्पड़ मारा और दहेज लाने के लिए कहा - 27.11.2022 को, प्रत्यर्थी क्रमांक. 1, उसके पति ने उसे अपने पिता से 50 लाख रुपये लाने के लिए कहा- प्रत्यर्थियों ने प्र.सूरि को रद्द करने के लिए द.प्र.सं की धारा 482 के तहत याचिका दायर की - उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया - शुद्धता:

अभिनिर्धारित: द.प्र.सं की धारा 482 के तहत न्यायालयों की शक्तियों के पहलू पर, यह तय है कि निरस्तीकरण के चरण में, न्यायालय को मिनी ट्रायल आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है- इस प्रकार, द.प्र.सं की धारा 482 के तहत रद्द करने के संबंध में अधिकार क्षेत्र में कुछ हद तक सीमित है क्योंकि न्यायालय को केवल इस बात पर

1 लेखक

विचार करना है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं- यदि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, तो धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए - वर्तमान मामले में, परिवारों और प्र.सू.रि के संयुक्त पढ़ने से, यह देखा जा सकता है कि उत्पीड़न और दहेज की मांग के प्रथम दृष्टया आरोप लगते हैं, इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिक रूप से इस आधार पर प्र.सू.रि रद्द कर दी कि अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई पिछली दो परिवारों में 22.07.2021 और 27.11.2022 को हुई विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया था और बाद में प्र.सू.रि में केवल एक विचार के रूप में उल्लेख किया गया था और प्रत्यर्थी नंबर 1/पति द्वारा अपीलकर्ता को भेजे गए विधिक नोटिस का प्रतिरोध था क्योंकि वह अपने वैवाहिक घर वापस नहीं आ रही थी-उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तरीका, इस न्यायालय की राय में, लघु विचारण चलाने जैसा है-तदनुसार उक्त प्रकरण में दखन देने की जरूरत है- इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। [पैरा 22, 27, 28]

उद्धृत न्याय दृष्टांत

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य [1990] 3 अनुपूरक एससीआर 259; (1992) अनुपूरक 1 एससीसी 335; दक्साबेन बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [2022] 13 एससीआर 295; (2022) 16 एससीसी 117; ओडिशा राज्य बनाम प्रतिमा मोहंती एवं अन्य [2021] 9 एससीआर 335; (2022) 16 एससीसी 703; केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह एवं अन्य [2023] 2 एससीआर 819; (2023) 18 एससीसी 399; नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य [2021] 4 एससीआर 1044; (2021) 19 एससीसी 401; तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जीलानी और अन्य [2017] 1 एससीआर 141; (2017) 2 एससीसी 779-पर भरोसा किया गया।

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य [2013] 14 एससीआर 713; (2014) 2 एससीसी 1; महमूद अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2023) 15 एससीसी 488; दिगंबर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2024] 12 एससीआर 1533; 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3836; दारा लक्ष्मी नारायण और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य [2024] 12 एससीआर 559; (2025) 3 एससीसी 735 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

कुंजी शब्दों की सूची

द.प्र.सं की धारा 482; प्र.सू.रि को रद्द करना; लघु विचारण ; द.प्र.सं की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार; दहेज; दहेज उत्पीड़न; दहेज की मांग।

से उद्धृत प्रकरण

आपराधिक अपील की अधिकारिता: आपराधिक अपील क्रमांक. 4752/2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के एमसीआरसी क्रमांक 10695/2024 में दिनांक 19.07.2024 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों के लिए उपस्थित

एमिकस क्यूरी:

प्रखर श्रीवास्तव।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता:

पावनी वर्मा, मयंक क्षीरसागर।

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता :

आदित्य वैभव सिंह, पशुपति नाथ राजदान, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, गौतम सिंह, आस्तिक गुप्ता, सुश्री आकांक्षा तोमर, यदुवेन।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति

1. अनुज्ञा प्रदान की गई।
2. वर्तमान अपील विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 10695/2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा पारित दिनांक 19.07.2024 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थी क्रमांक. 1 से 5 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860¹ की धारा 498 ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में दिनांक 28.01.2024 को दर्ज प्र.सू.रि क्रमांक 35/2024 से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
3. सर्वप्रथम, यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 5 वर्तमान मामले में उपस्थित नहीं हुए हैं और दिनांक 28.03.2025 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने

1 11 भारतीय दंड संहिता

गैर-प्रतिनिधित्व वाले प्रत्यर्थियों की ओर से न्यायालय की सहायता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रखर श्रीवास्तव को न्याय मित्र (निशुल्क) नियुक्त किया है।

A. तथ्यात्मक पहलु

4. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 का विवाह 20.11.2020 को मुस्लिम परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ। विवाह के शुरुआती दिनों में, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और उसके परिवार के सदस्यों ने अपीलकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार किया।

5. हालाँकि, शादी के 5-6 महीने बाद, निजी प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ता को यह कहकर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया कि उसके पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया। उसके पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने अपीलकर्ता को गंदी-गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दीं। इसके अलावा, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने अपीलकर्ता से कहा कि वह अपने पिता से 50 लाख रुपये लेकर आए ताकि वह एमआईसी परीक्षा पास कर सके। उसने उससे कहा कि वह उसे तभी रखेगा जब वह अपने पिता से 50 लाख रुपये देने को कहेगी।

6. निजी प्रत्यर्थियों के हाथों अपीलकर्ता द्वारा लगातार की जा रही क्रूरता के कारण, वह अपने पैतृक घर लौट आई और पुलिस स्टेशन आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में भ.द.सं की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत ईशान खान, प्रत्यर्थी नंबर 1 (पति), इरफाना बी, प्रत्यर्थी नंबर 2 (सास), इशाक खान, प्रत्यर्थी नंबर 3 (ससुर), आयशा बी, प्रत्यर्थी नंबर 4 (ननद) और शाहिद खान, प्रत्यर्थी नंबर 5 (देवर) के खिलाफ प्र.सू.रि क्रमांक 35/2024 दर्ज कराई।

7. प्र.सू.रि में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विवाह के 5-6 महीने बाद, उपरोक्त सभी व्यक्ति दहेज न देने के लिए उसे ताना मारने लगे। कहा गया था कि 22.07.2021 को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 5 ने उसे गालियाँ दीं और उसके देवर, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 5 है, ने उसे थप्पड़ मारा और दहेज लाने को कहा। इसके बाद, 27.11.2022 को प्रत्यर्थी क्रमांक 1, जो उसका पति है, ने उसे अपने पिता से 50 लाख रुपये लाने को कहा क्योंकि वह आगे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था। इसके बाद, उसके पति ने अपीलकर्ता और उनके बेटे इवान खान, दोनों को वैवाहिक घर से निकाल दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। अपीलकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उसके पिता ने मतभेदों को सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन निजी प्रत्यर्थी 50 लाख रुपये की राशि की मांग पर अड़े रहे।

8. प्र.सू.रि क्रमांक 35/2024 के विरुद्ध, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 5 ने विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 10695/2024, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973² की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर

2 संक्षिप्त में सीआरपीसी

की, जिसमें भ.द.सं की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज उक्त प्र.सू.रि और उससे उत्पन्न होने वाली सभी आगे की कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की गई।

9. उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.07.2024 के आक्षेपित आदेश के तहत विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 10695/2024 को अनुमति दी। इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील दायर की गई है।

10. इस मामले में नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने 24.01.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"1. विलम्ब क्षमा किया जाता है।

2. हमने 23 जनवरी की शिकायत का अवलोकन किया है।

2023, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में दायर किया गया है, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अतिरिक्त दस्तावेजों का हिस्सा है (पृष्ठ क्रमांक 6)।

3. प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के पैरा क्रमांक 10 में की गई टिप्पणी के मद्देनजर।

4. नोटिस जारी करें, 28.02.2025 को वापस करें।

5. इसके अतिरिक्त, दस्ती तामीली की भी अनुमति है। तामीली के लिए दो सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएँ।"

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 10 में की गई टिप्पणी के मद्देनजर।

बी. पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

11. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, अप्रतिनिधित्वित निजी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 5 के विद्वान न्यायमित्र तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 6-मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

12. प्रत्यर्थी क्रमांक 6/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग केवल विरलतम से विरल मामलों में ही किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को किसी प्र.सू.रि/परिवाद की जाँच करते समय आरोपों की विश्वसनीयता और वास्तविकता की जाँच नहीं करनी चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने प्र.सू.रि दर्ज होने से पहले परिवादों में दो विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया था, इसे बाद में किया गया विचार नहीं कहा जा सकता जब उत्पीड़न और दहेज की माँग के अन्य विशिष्ट आरोपों का उल्लेख किया गया था। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने '*नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*'³ और '*हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य*' में इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया।'

13. निजी प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता द्वारा रतलाम में महिला प्रकोष्ठ के समक्ष दर्ज की गई 22.01.2023 और 23.01.2023 की परिवादों और उसके बाद 28.01.2024 की प्र.सू.रि के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि उनकी सामग्री में कुछ विसंगतियाँ हैं। रतलाम में महिला प्रकोष्ठ के समक्ष दर्ज की गई परिवाद सामान्य प्रकृति की हैं, जिसमें अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया था कि उसकी शादी के बाद से, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा था और उसे पर्याप्त दहेज नहीं लाने के लिए गालियाँ दी जा रही थीं और लगातार ताने दिए जा रहे थे और प्रत्यर्थी क्रमांक 2 यानी सास उसे पर्याप्त भोजन और पानी नहीं दे रही थी और साथ ही उसे लगातार निगरानी में रख रही थी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तारीखों यानी 22.07.2021 और 27.11.2022 में से किसी का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, इन परिवादों में प्रत्यर्थी क्रमांक डी1 से 5 द्वारा कथित रूप से मांगी गई दहेज की निश्चित राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

14. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा 27.11.2022 को उसके वैवाहिक घर से कथित रूप से निकाल दिया गया था। इसके बाद, उसने 22.01.2023 को महिला प्रकोष्ठ, रतलाम में शिकायत दर्ज कराई।, जबकि प्र.सू.रि एक वर्ष की देरी से यानी 28.01.2024 को दर्ज की गई थी। इसके अलावा, प्र.सू.रि की सामग्री से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी क्रमांक 2 से 4 के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप

3 (2021)19SCC401

4 1992Supp(1) SCC 335

नहीं लगाए हैं और केवल अस्पष्ट और बहुप्रचारित कथन दिए गए हैं, जिन पर अगर उनके अंकित मूल्य पर भरोसा किया जाए, तो भी वे संज्ञेय अपराध नहीं बनते।

15. अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, विद्वान न्यायमित्र ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य,⁵ महमूद अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य⁶, दिगंबर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य⁷ तथा दारा लक्ष्मी नारायण एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य⁸ में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

16. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब हमारे विचारार्थ आती हैं।

सी. विश्लेषण

17. हमारे विश्लेषण के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द करने में सही था कि पहले के परिवादों में 22.07.2021 और 27.11.2022 की दो विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया था, जिन्हें बाद में प्र.सूरि में जोड़ा गया था और क्या यह 'लघु विचारण' आयोजित करने के बराबर नहीं होगा जो कि द.प्र.सं की धारा 482 की योजना के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

18. सर्वप्रथम, आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 9 और 10 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा:

"9. यह निर्विवाद है कि प्र.सूरि (अनुलग्नक पी/5) दर्ज करने से पहले, दिनांक 22.01.2023 (अनुलग्नक पी/3) को महिला पुलिस स्टेशन, रतलाम, जिला रतलाम (मप्र) में प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग (इस न्यायालय के समक्ष आवेदक) द्वारा किए गए कथित उत्पीड़न के लिए एक लिखित परिवाद दर्ज कराया गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि दोनों पक्षों यानी आवेदक क्रमांक 1 और प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को उनके प्रति आरोपों पर पुलिस महिला थाना, रतलाम द्वारा विधि का सहारा लेने की सलाह दी गई थी परंतु प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा उपरोक्त 3 MCRC-10695-2024 परिवाद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी स्थिति में, यदि प्रत्यर्थी क्रमांक 2, महिला पुलिस थाना, रतलाम द्वारा दिनांक 23.01.2023 को दिए गए परामर्श से व्यथित होती, तो वह अपनी शिकायत पर संबंधित पुलिस थाने द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के

5 (2014) 2 एससीसी 1

6 (2023) 15 एससीसी 488

7 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3836

8(2025) 3 एससीसी 735

लिए पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

10. यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त लिखित परिवाद में, 22.07.2021 और 27.11.2022 को हुई उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र तक नहीं किया गया है, जैसा कि प्र.सूरि (अनुलग्नक पी/5) में वर्णित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर 22.07.2021 और 27.11.2022 को हुई उत्पीड़न की कथित घटनाएँ बाद में सोची-समझी गई हैं। आवेदकों की ओर से तर्क है कि प्र.सूरि (अनुलग्नक पी/5), आवेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को दिए गए नोटिस (अनुलग्नक पी/1) का प्रतिवाद है।

(जोर दिया गया)

19. उपर्युक्त अनुच्छेदों के मात्र अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि निजी प्रत्यर्थियों के रद्द करने के आवेदन को स्वीकार करते समय जिन महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान दिया गया, उनमें से एक यह था कि अपीलकर्ता द्वारा दायर पूर्व परिवादों में, 22.07.2021 और 27.11.2022 को हुई उत्पीड़न की घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं था, जिन्हें बाद में 28.01.2024 की प्र.सूरि में जोड़ दिया गया था। इसलिए, हम 22.01.2023 और 23.01.2023 के परिवादों के प्रासंगिक अंश उद्धृत करते हैं, जो निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध उत्पीड़न और दहेज की माँग के प्रथम दृष्टया आरोपों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं:

"22.01.2023

...कि निकाह के तुरंत बाद ही प्रत्यर्थीगण ईशान, ससुर इशाक खान, सास इरफाना बी, ननद आयशा, ननदोई शैयद खान, जेठ हेमुद्दीन पिता अकबर खान निवासी उज्जैन ने मुझसे दहेज की माँग शुरू कर दी। पिछले दो वर्षों से वे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। शादी के दिन से ही हर दिन दहेज की माँग की जा रही है। मेरे पिता ने पल्सर बाइक दी थी, लेकिन मुझे कार लाने को कहा गया। मेरी ननद की शादी के मौके पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता से उनकी बेटी आयशा के लिए दहेज में एसी माँग लूँ। मेरी डिलीवरी के समय मेरी सास ने मेरे पति को अस्पताल नहीं आने दिया। मेरी गोदभराई के समय उन्होंने कपड़ों की माँग की और मेरी सास ने मेरे खाने-पीने और नाश्ते पर पाबंदी लगा दी। वह मुझे दिन में तीन बार एक ही सब्जी खाने को कहती हैं और नाश्ता नहीं करने को कहती हैं, वह मुझे दिन में एक बार चाय पीने देती हैं, उन्होंने मेरे किचन में कैमरे लगवा दिए हैं। मेरी सास मुझे घर में बाहर से बंद कर देती हैं। वह मुझे मेरे पति से बात नहीं करने देतीं। मेरे पति रात

के 11 बजे मेरे पास आते और मुझसे झगड़ा करते और मारपीट करते। मेरी ननद और देवर लगभग हर दिन घोंसला आते और मुझे डराते-धमकाते और जान से मारने की धमकी देते। "वो मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं देते, मेरे घरवालों को घोंसला आकर फ़ोन पर भी बात नहीं करने देते। सुबह-शाम गालियाँ देना मेरे ससुर का रोज़ का काम है।"

23.01.2023

.... मेरी शादी के बाद से ही मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। अपने पिता से कहो कि एक कार दे दो और मेरी ननद की शादी में एसी की माँग रखी गई थी। जब मेरे पिता से माँग पूरी नहीं हुई, तो मुझे तीन दिन से एक ही सब्जी खाने को दी जा रही है, नाश्ता भी नहीं करने दिया जा रहा है और दिन में सिर्फ़ एक बार चाय दी जा रही है।

मेरी सास, ननद, देवर और ससुर मिलकर मेरे कमरे में आकर मुझे गालियाँ देते हैं और धमकाते हैं। मेरे ससुर गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं और मेरी सास मुझसे पूरा दिन काम करवाती हैं और मुझे कुछ खाने नहीं देतीं। मेरी ननद और देवर रोज़ फ़ोन पर मेरी सास को उसे बाहर भेजने के लिए कहते हैं। कई बार तो वे मुझे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं और मुझे बाहर जाने नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे खिड़की भी नहीं खोलने देते। उन्होंने मुझे कई दिनों से घर में बंधक बनाकर रखा है। वे मुझे अपने परिवार से फ़ोन पर बात नहीं करने देते, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों से भी मिलने नहीं देते। मेरे पति भी इस सब में शामिल हैं। वे मुझे खर्च के लिए कभी दो रुपये भी नहीं देते। वे मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं देते। ऐसे में, इन सब से परेशान होकर मैं अपने माता-पिता के घर आ गई।

.....”

यह भी उचित होगा कि हम प्र.सूरि के प्रासंगिक अंशों को उद्धृत करें ताकि निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध आरोपों को बेहतर ढंग से समझा जा सके, विशेष रूप से 22.07.2021 और 27.11.2022 को घटित दो विशिष्ट घटनाओं को। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

".....मैं अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए उनके ताने सहन करती रही। लेकिन 22.07.2021 को मेरे पति ईशान खान, सास इरफाना बी, ससुर इशाक खान, ननद आयशा बी और देवर (नंदोई) सैयद खान ने मुझे गालियाँ दीं। मेरे देवर (नंदोई) सैयद खान ने मुझे थप्पड़ भी मारे और कहा कि

अपने पिता के घर से दहेज लाओ। इतना सब होने के बावजूद मैं उनकी प्रताड़ना सहन करती रही। लेकिन 27.11.2022 को मेरे पति ईशान खान ने मुझसे कहा कि मैंने एमबीबीएस की परीक्षा पास कर ली है और अब मुझे एमसीआई की परीक्षा देनी है, ऐसे में अब अगर तुम अपने पिता से पचास लाख रुपये की रकम लाओगे, तभी मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और यह कहकर उन्होंने मेरा और मेरे बेटे इवान खान का हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। इसके बाद, मैं अपने पिता ज़ाहिद खान के घर आलोट आई और अपने पिता और माँ परवीन बी को पूरी घटना बताई। तब से, मैं अपने पिता के साथ आलोट में रह रही हूँ। मेरे पिता ने मेरे पति और ससुराल वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे लोग पचास लाख रुपये के दहेज की मांग पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक उन्हें पचास लाख रुपये का दहेज नहीं दिया जाएगा, वे मुझे अपने साथ नहीं ले जाएँगे। आज मैं अपने पिता ज़ाहिद खान के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ। मैं रिपोर्ट दर्ज कराती हूँ, कार्रवाई की जाये।"

(जोर दिया गया)

20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत विधि की उत्कृष्ट व्याख्या **भजन लाल** (सुप्रा) में मिलती है, जिसमें इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के दायरे पर विस्तार से प्रकाश डाला था। यह इस प्रकार माना गया था:

"102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हमने उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें प्रथम मूल्य पर लिया जाए और उनको संपूर्णता में स्वीकार किया

जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्र.सू.रि के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा, संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण को उचित ठहराता हो।

(3) जहां प्र.सू.रि या परिवाद में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां प्र.सू.रि में आरोप संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां प्र.सू.रि या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी प्रग्यावान व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट विधिक वर्जन लगाया गया हो और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे से की जाती है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।"

21. "दक्साबेन बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य मामले" ⁹में दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"26. यद्यपि, धारा 482 द.प्र.सं के तहत उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अंतर्निहित शक्ति व्यापक है, फिर भी असाधारण मामलों में ऐसी शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। धारा 482 द.प्र.सं के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग बिना मांगे नहीं किया जाना चाहिए।

27. मोनिका कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2008) 8 एससीसी 781: (2008) 3 एससीसी (सीआरआइ) 649] में, इस न्यायालय ने माना कि धारा 482 द.प्र.सं के तहत अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग संयम से, सावधानीपूर्वक और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया गया हो।

28. असाधारण मामलों में, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। हालाँकि, हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब परिवाद में किसी अपराध का प्रकटीकरण न हो, या यह स्पष्ट रूप से तुच्छ, तंग करने वाली या दमनकारी थी, जैसा कि इस न्यायालय ने धनलक्ष्मी बनाम आर. प्रसन्ना कुमार [1990 अनुपूरक एससीसी 686: 1991 एससीसी (क्रि.) 142: एआईआर 1990 एससी 494] में माना था।

36. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध एक गंभीर, गैर-शमनीय अपराध है। निस्संदेह, धारा 482 द.प्र.सं के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ व्यापक हैं और इसका प्रयोग गैर-शमनीय अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। जहाँ पीड़ित और अपराधी के बीच समझौतावादी विवाद मूलतः दीवानी और व्यक्तिगत प्रकृति के हों, वहाँ उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 द.प्र.सं के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। किन मामलों में किसी प्र.सू.रि या आपराधिक परिवाद या समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

22. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालयों की शक्तियों के पहलू पर, यह स्थापित है कि रद्द करने के चरण में, न्यायालय को लघु-विचारण चलाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, रद्द करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अधिकारिता कुछ हद तक सीमित है क्योंकि न्यायालय को केवल यह विचार करना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं। यदि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, तो धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

23. इस न्यायालय ने *ओडिशा राज्य बनाम प्रतिमा मोहंती एवं अन्य*¹⁰ के मामले में यह माना कि:

"8.2. यह सामान्य बात है कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ तथा दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। विधि की स्थापित प्रतिपादना के अनुसार, जिस प्र.सू.रि/परिवाद को रद्द करने की मांग की जाती है, उसकी जांच करते समय न्यायालय प्र.सू.रि/परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता के बारे में कोई जांच नहीं कर सकती है। किसी परिवाद/प्र.सू.रि को रद्द करना कोई सामान्य नियम न होकर एक अपवाद होना चाहिए। सामान्यतः आपराधिक कार्यवाही में जब पूरे अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया हो, तो धारा 482 द.प्र.सं. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उन्मोचित करने और/या धारा 482 द.प्र.सं. के तहत आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालयों को आरोपों और/या साक्ष्यों के गुण-दोषों पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मानो वे लघु-विचारण कर रहे हों। जैसा कि इस न्यायालय ने माना है, धारा 482 द.प्र.सं. के तहत शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, लेकिन व्यापक शक्ति होने के कारण न्यायालय को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक भारी और अधिक परिश्रमी कर्तव्य डालता है।"

24. इसके अलावा, *केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह एवं अन्य के मामले*¹¹ में, इस न्यायालय ने माना कि द.प्र.सं. की धारा 482 के स्तर पर, उच्च न्यायालय को लघु विचारण करने की आवश्यकता नहीं है।

"6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश [आर्यन सिंह बनाम सीबीआई, 2022 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 4158]

10 (2022) 16 एससीसी 703

11(2023) 18 एससीसी 399

से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष चल रही कार्यवाही को इस प्रकार निपटाया है, मानो उच्च न्यायालय एक लघु विचारण कर रहा हो और/या उच्च न्यायालय, विचारण के समापन पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध आवेदनों पर विचार कर रहा हो। विधि के मूल सिद्धांत के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही से उन्मोचन और/या रद्द करने के चरण में, द.प्र.सं की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय को लघु विचारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश में यह पाया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। यह वह चरण नहीं है जहाँ अभियोजन/अन्वेषण एजेंसी को आरोप सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अभियोजन/अन्वेषण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विचारण के दौरान आरोपों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है।"

(जोर दिया गया)

25. इस न्यायालय ने *नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)* में द.प्र.सं की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों को निम्नलिखित निर्देश दिए:

निष्कर्ष

33. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, प्रमुख/मुख्य मुद्दे पर हमारे अंतिम निष्कर्ष है कि, क्या उच्च न्यायालय द्वारा द.प्र.सं की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान अन्वेषण पर रोक लगाने और/या "कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करना उचित होगा और किन परिस्थितियों में और क्या उच्च न्यायालय द्वारा क्या धारा 482 द.प्र.सं और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान आपराधिक कार्यवाही/परिवाद/प्र.सू.रि को खारिज/निपटारा/विचार ना करना/रद्द न करने पर, अन्वेषण के दौरान या द.प्र.सं की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट/चार्जशीट दाखिल होने तक अभियुक्त को गिरफ्तार न करने या "कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने" का आदेश पारित करना उचित होगा, पर हमारे अंतिम निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

33.1-----

33.2. न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी अन्वेषण को विफल नहीं करेंगे।

33.3. केवल ऐसे मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार का अपराध प्रकट नहीं किया गया है, न्यायालय अन्वेषण जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

33.4. जैसा कि देखा गया है, "विरल से विरलतल मामलों में" (मृत्युदंड के संदर्भ में इसके गठन से भ्रमित न हों) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ संयम से किया जाना चाहिए।

33.5. किसी प्र.सू.रि/परिवाद का अन्वेषण करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की गई है, न्यायालय प्र.सू.रि/परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में जांच नहीं कर सकता है।

33.6-----

33.7. किसी परिवाद/प्र.सू.रि को रद्द करना एक सामान्य नियम के बजाय अपवाद होना चाहिए।

33.8 से 33.11....

33.12. प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है जिसमें दर्ज अपराध से संबंधित सभी तथ्य और विवरण प्रकट किए जाने चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा अन्वेषण चल रहा हो, तो न्यायालय को प्र.सू.रि में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। पुलिस को अन्वेषण पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि परिवाद/प्र.सू.रि अन्वेषण के योग्य नहीं है या यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के बाद, यदि अन्वेषण अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई तथ्य नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उपयुक्त रिपोर्ट/सारांश प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार कर सकते हैं।

33.13 और 33.14.....

33.15. जब कथित अभियुक्त द्वारा प्र.सू.रि रद्द करने की प्रार्थना की जाती है और न्यायालय, द.प्र.सं की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, केवल इस बात पर विचार करना होता है कि प्र.सू.रि में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं या नहीं। न्यायालय को आरोपों के गुण-दोष के आधार पर यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपों के गुण-दोष किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं या नहीं, और न्यायालय को जाँच एजेंसी/पुलिस को प्र.सू.रि में लगाए गए आरोपों की जाँच करने की अनुमति देनी होती है।

(जोर दिया गया)

26. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी एवं अन्य¹² के मामले में यह माना कि:

"13. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि प्र.सूरि को रद्द करने के मामले में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा प्रयोग प्रावधान में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षण द्वारा उचित ठहराया गया हो। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि धारा 482 द.प्र.सं. के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन यह बताने के लिए विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकार के रूप में प्रदान की गयी व्यापक शक्ति लिए न्यायालय को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक भारी और अधिक परिश्रमी कर्तव्य डालता है।

14. इस संबंध में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय [कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य, (1977) 4 एससीसी 451: 1977 एससीसी (सीआरआई) 613] से एक अंश को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ (तत्कालीन माननीय न्यायाधीश) ने इस प्रकार राय व्यक्त की थी: (एससीसी पृष्ठ 451, पैरा 2)

"2. हमें यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उच्च न्यायालय ने सोचा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वह एक प्र.सूरि को रद्द कर सकता है। पुलिस ने विश्वविद्यालय के वार्डन द्वारा दर्ज की गई शिकायत की जाँच भी शुरू नहीं की थी और प्र.सूरि के अनुसरण में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। यह समझना ज़रूरी है कि अंतर्निहित शक्तियाँ उच्च न्यायालय को अपनी इच्छा या मनमानी के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार नहीं देतीं। इस वैधानिक शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी से और अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

27. हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने परिवादों और प्र.सूरि में आरोपों की विश्वसनीयता या अन्यथा के संबंध में जांच शुरू करके विधिक त्रुटि की है। सामान्यतः, किसी प्र.सूरि को रद्द करने के लिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। वर्तमान मामले में, परिवादों और प्र.सूरि को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह देखा जा सकता है कि उत्पीड़न और दहेज की मांग के प्रथम

दृष्टया आरोप बनते हैं, इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध प्र.सूरि को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई पिछली दो परिवादों में 22.07.2021 और 27.11.2022 को घटित विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया था और बाद में प्र.सूरि में इनका उल्लेख केवल एक विचार के रूप में किया गया था और यह प्रत्यर्थी क्रमांक 1/पति द्वारा अपीलकर्ता को भेजे गए विधिक नोटिस का प्रतिवाद था क्योंकि वह अपने वैवाहिक घर वापस नहीं आ रही थी। हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण एक लघु विचारण के समान है।

28. तदनुसार, हमारे विचार से, वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है, और हम ऐसा करते हैं। हम विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक. 10695/2024 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को अपास्त करते हैं।

29. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। संबंधित पक्षों के पास उपलब्ध सभी तर्क और बचाव खुले रखे गए हैं, जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके गुण-दोष के आधार पर और विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

अनुवाद द्वारा

रोहिल टिग्गा, कनिष्ठ न्यायिक अनुवादक
(म.प्र. उच्च न्यायालय, इंदौर)